

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1750 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1750

विषय / Sub: फायर वार्निंग बाक्स, पार्ट सं. एसईएफडब्ल्यूबी-01-एएलएच Fire Warning Box, Part No.: SEFWB-01-ALH

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स (बैंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड़, 16-ए, पीन्या इंडिस्ट्रियल एरिया, फेस-I, पीन्या, बेंगलूरु – 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "फायर वार्निंग बाक्स" पार्ट सं.: एसईएफडब्ल्यूबी-01-एएलएच, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1750, दिनांक 28 फरवरी 2015, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1750 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक था।

This is to state that the "Fire Warning Box", Part No: SEFWB-01-ALH, designed, developed and manufactured by M/s Sothern Electronics (Bangalore) Private Limited, 16-A, Peenya Industrial Area, Phase-I, Peenya, Bengaluru -560 058 was issued with Type Approval Number: 1750 vide Reference Number: CEMILAC /5070 /TA-1750, dated: 28th February 2013 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o HAL, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1750

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए -1750, दिनांक 28 फरवरी 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1750, dated: 28th February 2013 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र / प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter / certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1750/1R

दिनांक / Date : 0 | February 2018 फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

KOF IR

(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G') स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Offg.Chief Executive (Airworthiness)